

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 17/02/2016

संख्या- 1/श्रम वि०स्था० (1) 10-29/2015 श्र०सं०.....227...../ श्रीमती पुनम कुमारी, श्रम अधीक्षक, डालमियानगर (अतिरिक्त प्रभार, श्रम अधीक्षक, (कृ०श्र०), रोहतास) को बिहार सेवा संहिता के नियम 220A में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 24.02.2016 से 21.8.2016 तक कुल 180 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्रीमती पुनम कुमारी के अवकाश अवधि में श्री अमरेन्द्र नारायण, श्रम अधीक्षक, (सामान्य), औरंगाबाद को अपने कार्यों एवं दायित्वों के अलावे श्रम अधीक्षक, डालमियानगर एवं श्रम अधीक्षक, (कृ०श्र०), रोहतास का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

3. श्रीमती पुनम कुमारी के योगदान करने अथवा अगले आदेश तक बिहार कोषागार संहिता के नियम 148 (पुराना) एवं 84 (नया) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमरेन्द्र नारायण, श्रम अधीक्षक, (सामान्य), औरंगाबाद को सहायुक्त श्रमायुक्त, डालमियानगर, रोहतास के कार्यालय व्यय शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम के अधीन लघुशीर्ष एवं उपशीर्षों के अन्तर्गत स्थापना के वेतन-भत्ते तथा अन्य विपत्रों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6/2/16
(विजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-29/2015 श्र०सं०.....227...../ पटना, दिनांक-17/02/2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ / महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/उप श्रमायुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/जिला पदाधिकारी, रोहतास/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/2/16
सरकार के उप सचिव।